

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016


विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

  
(आर.के.महाजन) 5/4/16

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016


विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।


विश्वासभाजन,

  
(आर.के.महाजन)


ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:


प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग


ज्ञापांक: पटना / दिनांक:  
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग


ज्ञापांक: पटना / दिनांक:  
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक: पटना / दिनांक:  
प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस - उप-महानिरीक्षक / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक: पटना / दिनांक:  
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक ,स्वास्थ्य सेवार्ये को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016

विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस - उप-महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक ,स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016

विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना / दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना / दिनांक:

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना / दिनांक:

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस - उप-महानिरीक्षक / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

a- 17/4/16

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016

विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग



ज्ञापांक:

पटना / दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना / दिनांक:

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016

विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/—

प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर.के.महाजन, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी  
सभी सिविल सर्जन  
बिहार।

पटना, दिनांक: 06/04/2016

विषय: राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों के लिए IMFL का परमिट निर्गत किए जाने सम्बन्धी पत्र को रद्द करने के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय पत्रांक 96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016

महाशय/महाशया,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.04.2016 से राज्य में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण एवं सेवन पर प्रतिबंध है। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्यालय द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL के परमिट के निर्गत करने के संबंध में निर्गत पत्र संख्या-96 (H.S.) दिनांक 03.04.2016 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,


ह०/-

(आर.के.महाजन)

ज्ञापांक:

पटना/दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रधान सचिव  
स्वास्थ्य विभाग